

केन्द्रीय विद्यालय, संगठन

शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार
संभागीय कार्यालय, सिलचर
नियर लॉयन्स आई ,हॉस्पिटल .
कैप्टन एन788001-सिलचर ,गुप्ता सरणी एम.
(03842) 234009 (DC)/ 246886(ACs)
/245737 (AO) /261784 (FO)



KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN
Min. of Education, Govt of India
REGIONAL OFFICE, SILCHAR
Near Lion's Eye Hospital, Captain
N.M. Gupta Sarani, Silchar-788001
E-mail: dckvsrosilchar@gmail.com
Web. www.rosilchar.kvs.gov.in



फ.स.29331(3)/2023-के.वि.सं.(क्षे.का.) सिलचर/ शैक्षिक/स्थानीय स्थानांतरण /11853-54 दिनांक: 01.09.2023

प्राचार्य/ The Principal

केन्द्रीय विद्यालय / Kendriya Vidyalaya

संबंधित विद्यालय / Concern KV

विषय- छात्रों का स्थानीय स्थानांतरण-2023 (मिजोरम संकुल) के संबंध में।

Sub: Local Transfer of students -2023 (**Mizoram Cluster**) reg.

Madam / Sir,

निम्नलिखित छात्रों को आवास के परिवर्तन/ सरकारी क्वार्टर्स के परिवर्तन / अपने घर पर जाने तथा अनुकंपा के आधार पर नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार एतद्वारा एक केन्द्रीय विद्यालय से दूसरे केन्द्रीय विद्यालय को स्थानीय स्थानांतरण की अनुमति प्रदान की जाती है।

Permission for transfer of student from one KV to another KV is hereby accorded in respect of the following student/s due to change of residence / government qtrs. / shifting to Own house/ Compassionate grounds, etc:-

क्रसं S No	छात्र / छात्रा का नाम Name of the student	पिता का नाम Name of the Parent Sh / Smt / Ms	कक्षा Class	वर्तमान विद्यालय का नाम/ Name of Present KV	स्थानांतरण के.वि. का नाम Name of Transfer KV
1	2	3	4	5	6
1	Lalrinkima Langel	Mr. L. Lalthakima	III	KV Aizawl (MU)	KV Aizawl
2	Ayan Kumar	Mr. Brjesh Kumar	III	KV Aizawl (MU)	KV Aizawl
3	Shivam Aanand	Mr. Ajay Kumar Ranjit	VII	KV Aizawl (MU)	KV Aizawl
4	Karima Aftar Laskar	Mr. Kamrul Islam	VIII	KV Aizawl (MU)	KV Aizawl

(Total 04 Case/s Only)

संबंधित प्राचार्यों से अनुरोध है कि वे कालम (5) में दिए गए के.वि. के वैध स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर केविसं के प्रवेश सिद्धांत के नियम के अनुसार अपने विद्यालय में प्रवेश/ एडमिशन करें।

The concerned Principal is requested to admit the above approved case(s) on production of valid Transfer Certificate issued by KV mentioned under Col 5 above and other relevant documents as per KVS Admission Guidelines.

स्थानीय स्थानान्तरण की प्रक्रिया इस पत्र के जारी होने की तिथि से 10 दिनों के भीतर पूर्ण की जानी चाहिए।


The process of local transfer should be completed within 10 days from the date of issued of this letter.

आपसे अनुरोध है कि कक्षा नवम/दशम/ग्यारहवीं/बारहवीं में प्रवेश के समय प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों को सत्यापित करने में व्यक्तिगत सावधानी बरतें। आपसे यह भी अनुरोध है कि भविष्य में किसी भी जटिलता से बचने के लिए इस संबंध में सीबीएसई से अनुमोदन प्राप्त करें।/You are requested to take personal care to verify the documents submitted at the time admission for the class IX/X/XI/XII. You are also requested to obtain approval from CBSE in this regard to avoid any complicity in future.

अन्य मामलों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया गया है लेकिन प्रशासनिक कारणों से उनका स्थानांतरण नहीं जा सका।

OTHER CASES HAVE BEEN CONSIDERED SYMPATHETICALLY BUT COULD NOT BE ACCEDDED DUE TO ADMINISTRATIVE REASON

भवदीय/Yours faithfully,


(पी.आई.टी. राजा/P.I.T. Raja)
उपायुक्त/Deputy Commissioner

NOTE: The Principal KV concerned should verify the veracity of the TC before granting admission through email / website